धर्मनिरपेक्षता व साम्प्रदायिकता

विकास कुमार

भारत का संविधान एक उदार कानून हैं जिसमें धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की व्यवस्था की गई है। संविधान दो अवधारणाओं अर्थात धर्मनिरपेक्षता और संघ के जरिए अनेकत्व को अंगीकार और संवर्धित करना चाहता है। हालाँकि 1950 में बने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हैं। लेकिन इसके प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता की भावना है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता चर्च और शासन में संघर्ष के कारण आई। इसके विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता को ऐसी व्यवस्था के रूप में सोचा गया जो धार्मिक और सांस्कृतिक अनेकत्व को जीवित रखेगी। भारत में आज जिस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता को लिया जाता है वह है साम्प्रदायिकता का विरोध।